MATP/D.No. 367

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
Notification

New Delhi, the 24th day of September, 2013

INCOME-TAX

S.O.--------(E).- In exercise of the powers conferred by section 245Q read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (18th Amendment) Rules, 2013.
   (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2015.

2. In the Income-tax Rules, 1962, –

(i) in rule 44(E), in sub-rule (1), after item (c), the following item shall be inserted, namely.-

" (d) in Form No. 34EA, in respect of an applicant referred to in sub-clause (iiia) of clause (b) of section 245N of the Act.";

(ii) in Appendix-II, after the No. 34E, the following Form shall be inserted, namely: -

"FORM No. 34EA

[See rule 44E]

Form of application for obtaining an advance ruling under section 245Q (1) of the Income-tax Act, 1961

(PLEASE READ THE NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM)

BEFORE THE AUTHORITY FOR ADVANCE RULINGS

Application No.__________ of____________

1. Full name and address of the applicant
2. Telephone, Fax No. and e-mail
3. Status (Individual/ Company, etc)
4. Resident or non-resident in India
5. Country of which he is resident (in case of non-resident in India)
6. Basis of claim for being a non-resident
7. The Commissioner having jurisdiction over the applicant (only in the case of existing assessees)
8. Permanent Account Number, if any
9. Details of the arrangement to be undertaken by the applicant on which determination or decision of the authority is required

(i) brief description of the arrangement

(ii) purpose or purposes of the arrangement

(iii) details of the other parties to the arrangement in following format

S. No.	Name of the other party (ies) to the arrangement	Whether resident in India	PAN	Role of such party in arrangement	Relationship with other party (ies) to the arrangement	Tax benefit arising to the other party(ies), if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10. The tax benefit which is likely to arise out of arrangement, if undertaken.

11. Assessment year or years during which the tax benefit as indicated in item No. 10 is likely to arise.(give year-wise break-up)

12. Question(s) relating to the proposed arrangement on which the advance ruling is required.

13. Statement of the relevant facts having a bearing on the item No. 12.

14. Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid arrangement.

15. List of documents or statements attached

16. Particulars of account payee demand draft accompanying the application

17. Name and address of authorised representative in India, if any.

____

Signed

(Applicant)

Verification

I,____son/daughter/wife

[name in full and in block letters]

of________________________do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this application in my capacity as____________________ and that I am competent to make this

(designation)

application and verify it.

I also declare that the question on which the advance ruling is required is not pending in my case before any income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.

Verified today the____________ day of ____________

Place _______

____

Signed

(Applicant)

Notes:

1. The application shall be filled in English or Hindi in quadruplicate.

2. The number and year of receipt of the application will be filled in the office of the Authority for Advance Rulings.

3. If the space provided for answering any item in the application is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose. These should be signed by the applicant.

4. The application shall be accompanied by an account payee demand draft of ten thousand Indian rupees drawn in favour of Authority for Advance Rulings, payable at New Delhi. Particulars of the draft should be given in reply to item No. 16.

5. In reply to item No. 4, if the applicant is a company, association of persons or Hindu undivided family, etc., the country of residence thereof is to be given and not of the individual who is filing the application on behalf of such person.

6. In reply to item No. 5, the applicant must state whether he/it is an individual, Hindu undivided family, firm, association of persons or company.

7. For item No. 6, the reply shall be given in the context of the provisions regarding 'residence' in India as contained in section 6 of the Income-tax Act. The position in this regard is as follows:

   An individual is said to be 'resident' in any financial year, if he has been in India during that year:

   - for a period or periods of 182 days or more; or
   - for a period or periods of 60 days or more and has also been in India within the preceding four years for a period or periods of 365 days or more.

   However, the period of 60 days is increased to 182 days in the case of a citizen of India or a person of Indian origin who has been outside India and comes on a visit to India, a citizen of India who leaves India for purposes of employment outside India, or as a member of the crew of an Indian ship.

   An association of persons or a Hindu undivided family is resident in India in every case except where the control and management of its affairs is situated wholly outside India.

   A company is resident in India, if it is an Indian company or the control and management of its affairs is situated wholly in India.

   A person who is not resident in India as above, is non-resident in India.

8. Regarding item No. 12, the question(s) should be based on actual or proposed arrangements. Hypothetical questions shall not be entertained.

9. In respect of item No. 13, in Annexure I, the applicant shall state in detail the relevant facts and also disclose the nature of his business or profession and the likely date and purpose of the proposed arrangement(s). Relevant facts reflected in documents submitted along with the application shall be included in the statement of facts and not merely incorporated by reference.

10. For item No. 14, in Annexure II, the applicant shall clearly state his interpretation of law or facts in respect of the question(s) on which the advance ruling has been sought.

11. The application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statements and documents accompanying the annexures, shall be signed,-

(a) in the case of an individual,-

(i) by the individual himself, and

(ii)where, for any unavoidable reason, it is not possible for the individual to sign the application, by any person duly authorised by him in this behalf :

Provided that in a case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the individual to do so, which shall be attached to the application ;

(b) in the case of a Hindu undivided family,-

(i) by the karta thereof, and

(ii)where, for any unavoidable reason, it is not possible for the karta to sign the application, by any other adult member of such family ;

(c) in the case of a company,-

(i) by the Managing Director thereof, or where for any unavoidable reason such Managing Director is not able to sign and verify the application, or where there is no Managing Director, by any Director thereof ;

(ii) where, for any unavoidable reason, it is not possible for the Managing Director or the Director to sign the application, by any person duly authorised by the company in this behalf :

Provided that in the case referred to in sub-clause (ii), the person signing the application holds a valid power of attorney from the company to do so, which shall be attached to the application ;

(d) in the case of a firm, by the managing partner thereof, or where for any unavoidable reason such managing partner is not able to sign and verify the application, or where there is no managing partner as such, by any partner thereof, not being a minor ;

(e) in the case of an association of persons, by any member of the association or the principal officer thereof ; and

(f) in the case of any other person, by that person or by some person competent to act on his behalf.

ANNEXURE I

Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) on which the advance ruling is required

____

____

Place____________ ____________

Date____________ Signed

(Applicant)

ANNEXURE II

Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the question(s) on which advance ruling is required

____

____

Place__________

Date__________

____
Signed
(Applicant) ".

[Notification No. 76 /2013/ F.No.142/19/2013-TPL]

(Amit Katoch)
Under Secretary to the Government of India

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification number S.O.969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (___ Amendment) Rules, 2013 *vide* Notification number S.O. _____ (E) dated __-__-2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2013

आय-कर

का0आ0.........(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245 थ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (18वां संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त होंगे ।

2.आय-कर नियम, 1962 में,-

(i) नियम 44 (ङ) के उपनियम (1) में मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

" (घ) प्ररूप संख्या 34 ङक में अधिनियम की धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड (iii क) में निर्दिष्ट किसी आवेदक के संबंध में । ";

(ii) परिशिष्ट II में संख्या 34ङ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप संख्या 34ङक

[देखिए नियम 44 ङ]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने का प्ररूप

(कृपया इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष

..........की आवेदन संख्या...........

1. आवेदक का पूरा नाम और पता
2. टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल
3. प्रास्थिति (व्यष्टि/ कंपनी)
4. भारत में निवासी या अनिवासी
5. वह देश जिसका वह निवासी है (भारत में अनिवासी की दशा में)
6. अनिवासी होने के दावे का आधार
7. आयुक्त जो आवेदक पर अधिकारिता रखता है (केवल विद्‌यमान निर्धारितियों की दशा में)
8. स्थायी लेखा संख्यांक, यदि कोई है
9. आवेदक द्‌वारा किए जाने वाले ठहराव के ब्यौरे जिनपर प्राधिकरण द्‌वारा अवधारण या विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है

(i) ठहराव का संक्षिप्त विवरण

(ii) ठहराव का प्रयोजन

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में ठहराव के अन्य पक्षकारों के ब्यौरे

क्रम संख्या	ठहराव में अन्य पक्षकार (रों) का नाम	क्या भारत में निवासी है	पैन	ठहराव में ऐसे पक्षकार की भूमिका	ठहराव में अन्य पक्षकार(रों) के साथ संबंध	अन्य पक्षकार (रों) को उद्भूत होने वाला कर फायदा, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10. यदि ठहराव किया जाता है तो उससे उद्भूत होने वाला संभावित कर फायदा
11. वे निर्धारण वर्ष जिनके दौरान मद संख्या 10 में इंगित कर फायदे के उद्भूत होने की संभावना है (कृपया वर्षवार लेखा दें)
12. प्रस्तावित ठहराव से संबंधित प्रश्न जिनपर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है
13. मद संख्या 12 को प्रभावित करने वाले सुसंगत तथ्यों का विवरण
14. पूर्वोक्त ठहराव के संबंध में यथास्थिति आवेदक के विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण

15. उपाबद्ध दस्तावेजों या विवरणों की सूची
16. आवेदन के साथ संलग्न खाता देय डिमांड ड्राफ्ट का विवरण
17. भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हैं

ह0/-
(आवेदक)

सत्यापन

मैं..........................(नाम स्पष्ट अक्षरों में).पुत्र/पुत्री/पत्नी ....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपाबंध(धों) जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध(धों) के साथ दस्तावेज भी है में किया गया कथन सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ....(पदनाम).की क्षमता में यह आवेदन कर रहा/रही हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूं ।

मैं यह भी घोषणा करता /करती हूँ कि वह प्रश्न जिसपर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष मेरे मामले में लंबित नहीं है ।

................को सत्यापित

स्थान
ह0/-
(आवेदक)

टिप्पणियां:

1. आवेदन चार प्रतियों में अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा
2. आवेदन की प्राप्ति की संख्या और तारीख अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के कार्यालय में भरी जाएगी ।
3. आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए उपबंधित स्थान यदि अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक उपयोग किए जा सकते हैं । इनपर आवेदक पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं ।

4. आवेदक के साथ अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के पक्ष में, नई दिल्ली में संदेय दस हजार रुपए का खाता देय डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होगा । ड्राफ्ट का विवरण मद संख्या 16 के प्रत्युत्तर में दिया जाना चाहिए ।

5. मद संख्या 4 के प्रत्युत्तर में यदि आवेदक कोई कंपनी, व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब आदि है तो उनके निवास के देश को दर्शाया जाना चाहिए और न कि व्यष्टिक के जो ऐसे व्यक्ति के निमित्त आवेदन फाइल कर रहा है ।

6. मद संख्या 5 के प्रत्युत्तर में आवेदक को अनिवार्यतः कथना करना है कि क्या वह व्यष्टिक, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, व्यक्तियों का संगम, कंपनी है ।

7. मद संख्या 6 का प्रत्युत्तर आय-कर अधिनियम की धारा 6 में अंतर्विष्ट भारत में, "निवास" के संबंध में उपबंधों के संदर्भ में दिया जाएगा । इस संबंध में प्रास्थिति निम्नानुसार है:

कोई व्यष्टि किसी वित्तीय वर्ष में "निवासी" है यदि वह उस वर्ष के दौरान भारत में रहा है:

- 182 दिन की या अधिक अवधि या अवधियों के लिए रहा है ;या
- 60 दिन की या अधिक अवधि या अवधियों के लिए और पूर्ववर्ती चार वर्ष के दौरान 365 दिन की या अधिक अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है ।

तथापि, भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति की दशा में जो भारत से बाहर रहा है और भारत में भ्रमण के लिए आता है, भारत का नागरिक जो भारत से बाहर नियोजन के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर जाता है या किसी भारतीय पोत के कर्मीदल का सदस्य है, की दशा में 60 दिन की अवधि को बढ़ाकर 182 दिन कर दिया गया है ।

व्यक्तियों का संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब प्रत्येक दशा में भारत का नागरिक है सिवाय तब जब उसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत से बाहर स्थित है ।

कोई कंपनी भारत में निवासी है यदि वह कोई भारतीय कंपनी है और उसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत में स्थित है ।

कोई व्यक्ति जो ऊपर दिए गए अनुसार भारत में नागरिक नहीं है भारत का अनिवासी है ।

8. मद संख्या 12 के संबंध में प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित ठहराव पर आधारित होने चाहिए । काल्पनिक प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9. उपाबंध I में मद संख्या 13 के संबंध में, आवेदक सुसंगत तथ्यों का विस्तारपूर्वक कथन करेगा और अपने कारबार या व्यक्ति की प्रकृति का भी और प्रस्तावित ठहराव के प्रयोजन और संभावित तारीख का प्रकटन करेगा । आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में उपदर्शित सुसंगत तथ्यों को तथ्यों के विवरण में शामिल किया जाएगा और न कि उन्हें केवल निर्देश के लिए शामिल किया जाएगा ।

10. उपाबंध II में मद संख्या 14 के संबंध में, आवेदक उन प्रश्नों के संबंध में जिनपर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है के संबंध में विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्ट रूप से कथन करेगा ।

11. आवेदन और उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के उपाबंध और उपाबंधों के साथ विवरणों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे

(क) किसी व्यष्टि की दशा में -

(i) व्यष्टि द्वारा स्वयं, और

(ii) जहां किन्हीं अपरिहार्य कारणों से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, उसके द्वारा इस निमित्त सम्यकता प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा :

परंतु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले की दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टि की ओर से वैध *मुख्तारनामा* रखता हो, जिसे आवेदन के साथ उपाबद्ध किया जाएगा;

(ख) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में -

(i) कर्ता द्वारा स्वयं, और

(ii) जहां किन्हीं अपरिहार्य कारणों से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, ऐसे कुटुंब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;

(ग) किसी कंपनी की दशा में

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक हस्ताक्षर करने में और आवेदन का सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है उसके किसी निदेशक द्वारा ;

(ii) जहां किन्हीं अपरिहार्य कारणों से प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, कंपनी द्वारा इस निमित्त सम्यकता प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे :

परंतु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले की दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी की ओर से वैध मुख्तारनामा रखता हो, जिसे आवेदन के साथ उपाबद्ध किया जाएगा ;

(घ) फर्म की दशा में उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार हस्ताक्षर करने में और आवेदन का सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या जहां कोई प्रबंध भागीदार नहीं है उसके किसी भागीदार जो अवयस्क नहीं हो, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

(ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा ; और

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उस व्यक्ति द्वारा या उसके निमित्त कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

उपाबंध 1

सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों पर प्रभाव है जिनके लिए अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

स्थान

तारीख

ह0-

आवेदक

उपाबंध 2

आवेदक के उन प्रश्नों जिनपर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है के संबंध में यथास्थिति विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए विवरण

स्थान---------

तारीख--------

ह0-

आवेदक

[अधिसूचना संख्या 76/2013/फा;सं; 142/19/20/2013-टीपीएल]

अमित कटोच.

(अमित कटोच)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ) 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ........ तारीख आय-कर (संशोधन) नियम, 2013 द्वारा किया गया था ।